भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1776

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयला खनन प्रदूषण कम करने की तकनीक

1776. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खनन और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाले वायु, जल और मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए क्रियान्वित की जा रही विशिष्ट नीतियों और प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार झारखंड और ओडिशा जैसे कोयला-निर्भर क्षेत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा और सतत् आजीविका की ओर बढ़ने में किस प्रकार सहायता कर रही है;

(ग) अकुशल कोयला खदानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और कोयला गैसीकरण या कार्बन कैप्चर जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य और समय-सीमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय पुनर्वास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सभी कोयला खनन प्रचालन पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति (जहां अपेक्षित हो), प्रचालन की सहमति और भूजल स्वीकृति सहित वैध सांविधिक स्वीकृतियों के साथ किए जाते हैं। ये एमओईएफएंडसीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती हैं और प्रदूषण नियंत्रण

बोर्डों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करके इनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के माध्यम से वायु, जल, मृदा, वन और जैव विविधता पर विस्तृत प्रभाव आकलन करना और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) के माध्यम से शमन कार्यनीतियां तैयार करना शामिल हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार सभी खनन प्रस्तावों का विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृतियां अनुमोदित खान योजना (समापन योजना सहित) की संपूर्ण जांच के बाद ही प्रदान की जाती हैं जिनमें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों जैसे धूल नियंत्रण, ध्वनि न्यूनीकरण, हरित पट्टी विकास, जैव विविधता संरक्षण और खनन पश्चात भूमि पुनरूद्धार के लिए अधिदिष्ट प्रावधान शामिल हैं।

कोयला चलित विद्युत संयंत्रों के संबंध में, वायु, जल और मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरणीय नीतियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों की एक व्यापक रूपरेखा अपनाई गई है। ये पहलें राष्ट्रीय विनियामक दिशानिर्देशों और संधारणीय और जिम्मेदार विद्युत उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

(ख) : आजीविका के संधारणीय साधनों को बढ़ावा देने और खान-समापन के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए, सरकार ने दिनांक 31.01.2025 को खान समापन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर केंद्रित व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें स्थानीय लोगों का कौशल विकास, आजीविका सृजन, भूमि पुनरूद्धार, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्वास, सामुदायिक भागीदारी और समापन पश्चात विकास शामिल हैं।

इसके अलावा, कोयला कंपनियों के साथ-साथ विद्युत कंपनियां जैसे सीआईएल, एनटीपीसी, डीवीसी झारखंड और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में कौशल निर्माण और आजीविका वृद्धि कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों के तहत कई प्रकार की पहल कर रही हैं।

(ग) : सरकार ने अकुशल कोयला खानों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कोई लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

सरकार कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें कर रही है-

i. सरकार ने 8,500 करोड़ रु के परिव्यय से पीएसयू और निजी क्षेत्र के लिए कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है।
ii. कोयला गैसीकरण पहल की सहायता करने के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस)

लिंकेज नीलामी नीति के तहत एक नया उप-क्षेत्र, "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस का उत्पादन" सृजित किया गया था।

iii. सरकार ने एनआरएस नीलामी के अंतर्गत अगले सात वर्षों के भीतर चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए विनियमित क्षेत्र के अधिसूचित मूल्य पर न्यूनतम मूल्य के साथ गैसीकरण परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति की अनुमति दी है।

iv. वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों में गैसीकरण में प्रयुक्त कोयले के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट की शुरुआत की गई है, बशर्ते कि कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए।

v. मामला-दर-मामला आधार पर भू-सीमा-भागीदारी वाले देशों से प्रौद्योगिकी (टीओटी) के अंतरण के लिए पंजीकरण से छूट प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। एक आवेदन को छूट प्रदान कर दी गई है।

(घ) : समावेशी विकास और पर्यावरणीय पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श करके और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं -

i. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित स्कीमों के अनुसार अपनी सभी कोयला खनन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण तथा आरएंडआर के लिए संरचित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना। स्थानीय हितधारकों के साथ परामर्श पारदर्शिता सुनिश्चित करने, स्थानीय चिंताओं को दूर करने और निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

ii. वैकल्पिक उत्पादक उपयोग के लिए भूमि की पुनर्प्राप्ति हेतु राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से खनन किए गए क्षेत्रों के तकनीकी और जैविक पुनरुद्धार सहित प्रगतिशील और अंतिम खान समापन संबंधी कार्यकलाप करना।

iii. पुनः प्राप्त भूमि को इको-पार्क, जलाशयों और पर्यटन स्थलों (जैसे, सावनेर इको पार्क और गुंजन पार्क) में परिवर्तित करना, हरित आवरण को बढ़ावा देना और सामुदायिक जुड़ाव और आर्थिक अवसर को सक्षम बनाना।

iv. खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान चलाना। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों को पौधे वितरित करना हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देना और कार्बन सिंक में योगदान करना।

v. सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और मत्स्य पालन के लिए खान वॉइड्स को पुनः उपयोग में लाना, जो सीधे आस-पास के समुदायों को लाभान्वित करता है और संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन को सहायता प्रदान करता है।

****